

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

[दशम्(शीतकालीन)सत्र]

शुक्रवार,तिथि-

23 दिसम्बर, 2022 (ई०)

02 पौष, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)-श्री दशरथ गागराई, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-22 एवं 22-12-2022 से स्थगित)
- (05)- श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-22 एवं 22-12-2022 से स्थगित)
- (06)-श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-12-22 एवं 22-12-2022 से स्थगित)
- (07)- श्री बिनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-22-12-2022 से स्थगित)
- (08)-सर्वश्री राज सिन्हा, मनीष जायसवाल एवं श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-22-12-2022 से स्थगित)

-:02:-

- (09)-श्री बसंत सोरेन, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-22-12-2022 से स्थगित)
- (10)- श्री समीर कुमार मोहन्ती,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-22-12-2022 से स्थगित)
- (11)-सुश्री अम्बा प्रसाद,श्री कुमार जयमंगल एवं श्री सोनाराम सिंघु,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-22-12-2022 से स्थगित)
- (12)- श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)-श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)-श्री भूषण तिर्की, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)-सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा, भानू प्रताप शाही एवं श्री अमित कुमार मण्डल,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)-सर्वश्री मनीष जायसवाल, कोचे मुण्डा एवं डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (17)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (18)-प्रभारी मंत्री (वित्त विभाग) ,प्रस्ताव करेंगे कि“भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्त लेखे भाग-I,II एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है”को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

- (19)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (20)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: राजकीय विधेयक :-

“झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022”

- (21)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (22)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (23)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (24)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री हफीजूल हसन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

“झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022”

- (25)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (26)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (27)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (28)- वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

“झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022”

- (29)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बादल, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (30)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बादल, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (31)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बादल, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (32)- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बादल, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (33)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

- (34)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
- (35)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
- (36)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२२-^{२५८३}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२२/१२/२०२२}.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

^{३६९}
^{२२/१२/२०२२}
(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२२-^{२५८३}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२२/१२/२०२२}.....

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

^{३६९}
^{२२/१२/२०२२}

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०८/२०२२-^{२५८३}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२२/१२/२०२२}.....

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

^{३६९}
^{२२/१२/२०२२}

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत

^{३६९}
^{२२/१२/२०२२}